

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

## POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सैक्टर-29, गुडगाँव-122 001, हरियाणा  
फोन : 0124-2571700-719, फैक्स : 0124-2571760, 2571761 तार 'नेटग्रिड'  
Corporate Office : "Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001. Haryana  
Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571760, 0124-2571761 Gram : 'NATGRID'

सदर संख्या / Ref. No.

के.आ./के.आ./सू.अ/2015/70

दिनांक : 12 जून, 2015

श्रीमती भावना मलहोत्रा  
एच-2/147, सेक्टर-16,  
रोहिणी, पहली मंजिल  
नजदीक: शुक्र बाजार,  
दिल्ली - 110 089

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियमक 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 28.5.2015 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी मांगी थी।

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अनुबंध क पर संलग्न है।


आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावाधान के अनुसार अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार :

श्री बी. मिश्रा

कार्यपालक निदेशक (के.आ. एवं आईटी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
'सौदामिनी', प्लॉट नं ,2 .सैक्ट ,29-गुडगांव ,122001-हरियाणा

धन्यवाद।

भवदीय,

  
(सुधीर मित्तल)  
12.6.15

महाप्रबंधक(के.आ.)एवं के.लो.सू.अधिकारी

उपरोक्त: संलग्न

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 दूरभाष : 011-26560121 फैक्स : 011-26560039 तार 'नेटग्रिड'  
Registered Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016 Tel. : 011-26560121 Fax : 011-26560039 Gram : 'NATGRID'

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं  
Save Energy for Benefit of Self and Nation

अनुबंध- क

Query 1:	कारपोरेशन के कुछ कार्यालयों / प्रतिष्ठानों में कार्मिको को 10 % एफ.सी.ए देय है, कुछ में नहीं, कृपया स्पष्ट करें जहा दिया जा रहा है वहां डीपीई के किन दिशानिर्देशों के तहत देय है एवं जहां नहीं दिया जा रहा है, वहां डीपीई के किन दिशानिर्देशों के तहत देय नहीं है ?
Reply:	पावर्ग्रिड मे स्पेशल अलौअंस का नियंत्रन डी.पी.ई गाइडलाइन संख्या 2(70)/08-DPE(WC) – GL-XVI/08 दिनांक 26.11.2008 के अंतर्गत किया जा रहा है ।
Query 2:	कृपया उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 के सापेक्ष में डीपीई के दिशानिर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करें ?
Reply:	उत्तर संख्या 1 मे दिए गए डी.पी.ई गाइडलाइन, डी.पी.ई के वेबसाईट <a href="http://www.dpe.nic.in">www.dpe.nic.in</a> पर उपलब्ध है ।
Query 3:	कारपोरेशन के कुछ कार्यालयों / प्रतिष्ठानों में कार्मिको को 10 % एफ.सी.ए/ एस.सी.ए. वेतन पुनः निर्धारण परिपत्र सं0 277/2010 एवं परिपत्र सं0 278 /2010 दिनांक 23.10.2013 के आधार पर शुरू किया गया था, जिसे बाद में किस आदेश के तहत रिकवर किया गया है, कृपया प्रति उपलब्ध करें ?
Reply:	एफ.सी.ए/ एस.सी.ए पर, दिनांक 23.10.2013 पर कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया गया है ।

इनी मेव